

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 302 / 2015

संस्थापन दिनांक 27.05.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड
म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1-मिथुन उर्फ बृजेशसिंह तौमर पुत्र लक्ष्मणसिंह तौमर
आयु 23 वर्ष निवासी भौनपुरा थाना एण्डोरी परगना
गोहद जिला भिण्ड

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 भादस के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 16.02.15 को 08:30 बजे ग्राम चक बरौना के सामने आम रोड थाना एण्डोरी जिला भिण्ड टैम्पो क्रमांक एम0पी0-09-एस. 8916 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा रिन्की अ0सा01, मनीष अ0सा02, सतेन्द्र अ0सा05 और हिमांशु अ0सा04 को उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला सक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक आरोपी मिथुन तौमर भौनपुरा से टैम्पो टैक्स क्रमांक एम0पी0-09-एस.8916 में रिन्की अ0सा01, मनीष अ0सा02, हिमांशु अ0सा04, पूनम व सोनू को बैठाकर स्कूल ले जाता था दिनांक 16.02.15 को उक्त सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे तब प्रातः 8:30 बजे आरोपी मिथुन ने उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर चक बरौना गांव के सामने आम रास्ते में मोड़ के पास वाहन को पलटा दिया जिससे रिन्की, सतेन्द्र अ0सा5, हिमांशु अ0सा04 और मनीष अ0सा02 को चोटें आई घटना की रिपोर्ट प्रीती द्वारा की गयी तब पुलिस द्वारा मनीष अ0सा02, रिन्की, सतेन्द्र अ0सा5 और हिमांशु अ0सा04 का मेडीकल परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात थाना एण्डोरी में देहाती

नालिसी प्र०पी-1 दर्ज कर थाना एण्डोरी में असल अपराध की कायमी कर प्राथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अप०क्र० 16/15 पजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 16.02.15 को 08:30 बजे ग्राम चक बरौना के सामने आम रोड थाना एण्डोरी जिला भिण्ड टैम्पो क्रमांक एम०पी०-09-एस.8916 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर रिन्की, मनीष अ०सा००२, और हिमांशु अ०सा००४ को उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 पर सकारण निष्कर्ष //

5. रिन्की अ०सा००१ ने कथन किया है कि वह आरोपी मिथुन उर्फ बृजेश को जानती है दिनांक 26.07.16 से एक वर्ष पूर्व वह मार्शल से स्कूल जा रहे थे तब पंजाबी के पुरा पर उनकी गाड़ी जिसे आरोपी मिथुन बहुत तेजी से चला रहा था पलट गयी तब गाड़ी में पूनम व अन्य बच्चे बैठे थे। उसे घटना में मुंह, सिर व दांतों में चोट आई थी। देहाती नालिसी प्र०पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र०पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिन्की ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह नहीं बता सकती कि घटना के समय गाड़ी की स्पीड कितनी थी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि साक्षी की उम्र मात्र 13 वर्ष है अतः स्पीड बताये जाने में असमर्थता अस्वाभाविक नहीं है। रिन्की अ०सा००१ ने पैरा 2 में बताया है कि गाड़ी रोज जिस तरह से चलती थी उसी तरह से चल रही थी। उक्त तथ्य का भी तात्पर्य यह नहीं है कि रोज गाड़ी धीरे चलती थी।

6. मनीष अ०सा००२ ने कथन किया है कि वह आरोपी मिथुन उर्फ बृजेश को जानता है जो उनके स्कूल की गाड़ी चलाता है दिनांक 26.07.16 से एक वर्ष पूर्व आरोपी मिथुन उनके स्कूल की गाड़ी तेज चला रहा था गाड़ी में हिमांशु अ०सा००४ रिन्की अ०सा००१ व अन्य बच्चे बैठे थे। तब पंजाबी के पुरा के पास उनकी गाड़ी पलट गयी जिससे उसे पैर व सिर में चोट आई और रिन्की अ०सा००१ के भी चोटें आईं फिर पुलिस उन्हें अस्पताल ले गयी थी। प्रतिपरीक्षण में मनीष अ०सा००२ ने बताया है कि आरोपी गाड़ी को तजी व लापरवाही से नहीं चला रहा था लेकिन पुनः परीक्षण में बताया है कि आरोपी लापरवाही से नहीं चला रहा है और तेज चला रहा था अतः मुख्यपरीक्षण और पुनःपरीक्षण में एकरूप कथन किए हैं कि आरोपी गाड़ी को तेज चला रहा था और प्रतिपरीक्षण में भी उसने गति 50-60 की होना बतायी है जोकि पर्याप्त गति होती है और लापरवाही के संबंध में उसने कथन किया है कि मोड़ पर बैलेन्स बिगड़ने से गाड़ी पलट गयी थी अतः मोड़ पर

उक्त गति से गाड़ी मोड़ना उतावलेपन से वाहन चलाया जाना परिलक्षित करता है।

7. हिमांशु अ0सा04 ने कथन किया है कि जब वह यू.के.जी. में पढ़ता था तब वह जिस गाड़ी में बैठकर स्कूल जाता था उसे आरोपी मिथुन चलाता था। जिस कारण वह आरोपी को जानता है आरोपी गाड़ी को खराब चला रहा था और खन्ती में पटक दी थी जिससे उसे व अन्य दूसरे बच्चों को चोटें आई थीं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। यह साक्षी मात्र 9 वर्ष का है। अतः आरोपी को न जानने से यह तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है क्योंकि आरोपी को पहचानने का कारण उसने स्वयं के स्कूल का वाहन आरोपी द्वारा चलाया जाना बताया है।
8. सतेन्द्र अ0सा05 ने कथन किया है कि आरोपी मिथुन उनके स्कूल की बस का ड्राइवर है जो गाड़ी को धीरे चला रहा था लेकिन सामने से एक टिफिन वाला आया जो हाथ दे रहा था इस कारण बस पलट गयी जिससे उसे, रिन्की अ0सा01 व अन्य बच्चों को चोटें आई थीं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी द गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 16.02.15 को आरोपी ने टैम्पो टैक्स क्रमांक एम0पी0-09-एस.8916 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दिनांक 16.02.15 को खन्ती में पलटा दी थी। अतः इस साक्षी ने घटना दिनांक को आरोपी द्वारा ही वाहन चलाया जाना बताया है परन्तु आरोपी के उपेक्षापूर्वक आचरण से इंकार किया है।
9. साक्षी डॉ० आलोक शर्मा अ0सा03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 16.02.15 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना एण्डोरी के आरक्षक बृजमोहन नं० 294 द्वारा लाये जाने पर आहत रिन्की अ0सा01 पुत्री बृजेश ओझा निवासी बरौना का परीक्षण करने पर आहत के चोट नं०1 उपर के होंठ पर 2गुणा1से.मी. का नील का निशान तथा चोट नं०2 नाक के उपर 1गुणा1से.मी. का नील का निशान पाया था। उसके मतानुसार यह चोटें साधारण प्रकृति की होकर कड़ी एवं भौंथरी वस्तु से आना संभावित है तथा परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की हैं मेडीकल रिपोर्ट प्र०पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसने आहत गौरव पुत्र बृजेश ओझा का परीक्षण करने पर आहत के कोई चोट नहीं पाई थी मेडीकल रिपोर्ट प्र०पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसने आहत सतेन्द्र अ0सा05 पुत्र शिम्भूसिंह का परीक्षण करने पर दांये बखा में 2गुणा0.5से.मी. का छिले का घाव पाया था। उसके मतानुसार यह चोट साधारण प्रकृति की होकर कड़ी एवं भौंथरी वस्तु से आना संभावित है तथा परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की हैं। मेडीकल रिपोर्ट प्र०पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
10. अतः फरियादी रिन्की अ0सा01 व साक्षी मनीष अ0सा02 व हिमांशु अ0सा04 द्वारा मुख्यपरीक्षण में आरोपी द्वारा ही वाहन चलाया जाना और उक्त वाहन उपेक्षापूर्वक चलाया जाना बताया है जो प्रतिपरीक्षण में भी उपरोक्त विवेचना अनुसार किसी तात्त्विक विरोधाभास से ग्रस्त होना प्रतीत नहीं हुआ है। अतः उनके द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिए कथन पर प्रतिपरीक्षण में अविश्वास किए जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। सतेन्द्र अ0सा05 ने आरोपी द्वारा ही वाहन चलाया जाना बताया है। यद्यपि उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के तथ्य से इंकार किया

है। चिकित्सक डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०३ के कथन से भी यह स्पष्ट होता है कि रिन्की अ०सा०१, गौरव उर्फ मनीष अ०सा०२ व सतेन्द्र अ०सा०५ के चोटें पाई गयी थीं। हिमांशु अ०सा०४ ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वयं को चोट आना बताया है। अतः उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में सफल रहता है और यह सिद्ध होता है कि आरोपी ने दिनांक 16.02.15 को 08:30 बजे ग्राम चक बरौना के सामने आम रोड थाना एण्डोरी जिला भिण्ड टैम्पो क्रमांक एम०पी०-०९-एस.८९१६ को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा रिन्की अ०सा०१, मनीष अ०सा०२, सतेन्द्र अ०सा०५ और हिमांशु अ०सा०४ को उपहति कारित की।

11. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 337 भादस के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
12. आरोपी अभिरक्षा में पेश है। दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया।
13. धारा 279 भा.द.स. का अपराध गुरुत्तर प्रकृति का होने से धारा 337 भा.द.स. के अपराध में प्रथक से दण्डादेश पारित न कर आरोपी को धारा 279 भा.द.स. के आरोप में एक हजार रुपये के अर्थदण्ड व प्रकरण में निरोध में बितायी अवधि के कारावास के दण्डादेश से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को पांच दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाये।
14. प्रकरण में आरोपी दिनांक 25.04.17 से आज निर्णय दिनांक तक अभिरक्षा में रहा है।
15. प्रकरण में जप्त वाहन क्रमांक एम०पी०-०९-एस.८९१६ आरोपी की सुपुर्दगी में है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०